Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक 123/34–2/83 भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 1983

प्रति,

(1) कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
संभाग (समस्त)

(2) अधीक्षण यंत्री,
लोंक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल (समस्त)

विषय.– ग्रामीण नल–जल योजनाओं का संधारण.

शासन विगत कुछ समय से इस बात पर विचार कर रहा था कि ग्राम पंचायतों के द्वारा नल–जल योजनाओंके के संधारण में उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाए, ताकि नल–जल योजनाएं ठीक से चलती रहें ओर उनके माध्यमसे से ग्रामवासियों को शुध्य पेयजल निरन्तर उपलब्ध होता रहें. इस विषय के संबंध में विचार करने के पश्चात् शासन ने ज बवह निर्णय लिया है कि पेयजल योजनाओं मे लगें मोटार /पम्स तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा किया जायेगा. नल– जल योजनाओं के संधारण से संबंधित अन्य व्यय अर्थात् योजना चालाने के लिये आपरेटार का खर्च विघुत व्यय, कैमिकल का खर्च (जहां आवश्यक हो) आदि संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा ही वहन किया जाता रहेगा.

2. किसी नल–जल योजना में लगे मोटर/पम्प्स/उपकरणों की खामी खराबी की सूचना प्राप्त होने पर उसे तत्परता से दूर करने की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा की जाएगी. यदि सुधार कार्य में निहित व्यय उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक हो तो इसके लिये सामान्य नियमों एवं निर्देशों के अन्तगंत उनके द्वारा प्रस्ताव बनाकर कार्यपालन यंत्री से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी.

3. विभाग को सौंपे गये इस नए दायित्व के मित्व्ययतापूर्ण परन्तहु सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पृथकश : जारी किये जायेंगे.

हस्ता/–
न.ब.लोहनी
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग